



भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड, मुंबई

विज्ञापन सं. 2ए/2012-13

(यह विज्ञापन और आवेदन का फार्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, www.rbi.org.in से प्राप्त किया जा सकता है)

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं/बैंक) में निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों, नेपाल के नागरिकों और भूटान की प्रजा, तिब्बती शरणार्थी (1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आए हुए) और भारतीय मूल के व्यक्ति जो म्यांमार और श्रीलंका से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आए हैं और जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र हो, से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद	रिक्तियों की संख्या				
	अनारक्षित अर्थात् सामान्य (सामा)	अनुसूचित जाति (अजा)	अनुसूचित जनजाति (अजजा)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अपवि)	कुल
विधि अधिकारी ग्रेड 'बी'	04	-	-	02	06

टिप्पणी: (i) विकलांग रिक्तियों का बैकलॉग खत्म करने के लिए अधिसूचित की गई कुल रिक्तियों के अंतर्गत अक्षमता के तीनों वर्गों में से किसी भी वर्ग [बधिर वर्ग के अंतर्गत 'बधिर' (Deaf) व्यक्तियों, जो इस पद के लिए पात्र नहीं हैं, को छोड़कर] से संबंधित विकलांग उम्मीदवारों पर उनकी उपयुक्तता के अधीन, इस विज्ञापन में विकलांगों के लिए अधिसूचित रिक्तियों के अतिरिक्त उनके चयन पर विचार किया जाएगा।

(ii) विकलांग व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अक्षमता की डिग्री कम से कम 40 प्रतिशत हो जो चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। विकलांगों के पास भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल द्वारा जारी इस आशय का नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2 (क) कार्य संबंधी अपेक्षाएं: (i) बैंक के विभिन्न विभागों और इससे संबद्ध संस्थाओं से प्राप्त विधिक विषयों के संदर्भों के साथ व्यवहार जो मुख्यतः विभिन्न कानूनों की व्याख्या जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, कंपनी अधिनियम 1956, आदि से संबंधित है। (ii) बैंक द्वारा लागू किए गए/लागू किए जाने के लिए कानून का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करना। (iii) ऐसी मुकदमेबाजी जिसमें बैंक और इससे संबद्ध संस्थाएं शामिल हों, के संबंध में परामर्श देने के लिए दलीलों तथा व्यापक अनुदेशों/पक्ष कथन का ड्राफ्ट तैयार करना। (iv) बैंक की ओर से समाधान अधिकारी, श्रम न्यायालय, अभिकरण आदि के समक्ष उपस्थित होना।

(ख) पात्रता मानदंड:

(I) शैक्षिक अर्हताएं (दिनांक 01-01-2013 को):

अनिवार्य: सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष के साथ विधि में स्नातक की डिग्री जो अधिवक्ता के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो।

टिप्पणी: (i) विकलांग उम्मीदवारों के लिए विधि की स्नातक डिग्री में न्यूनतम अपेक्षित अंक सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से 45% होंगे।

(ii) कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान अंकों के प्रतिशत नहीं अपितु समग्र ग्रेड प्वाइंट प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड बताया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड नहीं बताया जाता है तो उसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:

समकक्ष सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई अथवा कोई और शब्दावली जो 10 प्वाइंट स्केल पर दी गई है	समग्र प्रतिशत अंक
6.75	60%
5.75	50%
5.25	45%

(iii) समग्र ग्रेड प्वाइंट अथवा अंकों के प्रतिशत (जहां दिए गए हों) का अभिप्राय पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के होंगे।

(iv) जहां समग्र ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) 10 के अलावा अन्य किसी संख्या में से दिए गए हों तो इनका 10 में से सामान्यीकरण उक्त टिप्पणी (ii) के अनुसार किया जाएगा।

वांछनीय: (i) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से 60% अंक या समकक्ष के साथ विधि में स्नातक डिग्री अथवा विधि में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) कंप्यूटर एप्लीकेशनों में प्रवीणता।

(II) अनुभव (दिनांक 01-01-2013 को):

अनिवार्य: एक अधिवक्ता अथवा विधि अधिकारी के रूप में या किसी बड़े बैंक/वित्तीय संस्थान/ संवैधानिक निगम/कंपनी के विधि विभाग में और/अथवा अधिवक्ता या सॉलीसिटर के कार्यालय या केंद्रीय/राज्य सरकार के विधि विभाग में विधि सहयोगी/विधि परामर्शदाता या किसी विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी: अधिवक्ता के रूप में वकालत करने वालों के मामले में (i) बार काउंसिल पंजीयन प्रमाण-पत्र और (ii) बार एसोसिएशन का प्रमाण-पत्र, जिसका उम्मीदवार सदस्य हो या उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें उम्मीदवार ने अपेक्षित अवधि के लिए वकालत की हो, को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

वांछनीय: बैंकिंग विधि, कंपनी विधि, श्रम विधि एवं संवैधानिक विधि का विशेष ज्ञान और बहस एवं दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करने का अनुभव।

(III) आयु सीमा (दिनांक 01-01-2013 को):

32 वर्ष से अधिक नहीं (अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02-01-1981 से पहले का नहीं होना चाहिए)। एलएल.एम. डिग्रीधारी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा विधि में पीएच.डी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट है। विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए कृपया निम्नलिखित मद सं. 4 देखें।

(ग) चयन योजना :

चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा रविवार, दिनांक 31 मार्च 2013 को आयोजित की जाएगी और इसमें निम्नलिखित ब्योरे के अनुसार वस्तुनिष्ठ तथा वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे :

ब्योरा	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्न -पत्र। विधि का सामान्य ज्ञान		
वस्तुनिष्ठ प्रकार का	30	तीन घंटे
वर्णनात्मक प्रकार का	120	
कुल	150	
प्रश्न-पत्र II अंग्रेजी		
वर्णनात्मक प्रकार का	100	तीन घंटे
कुल जोड़	250	

प्रश्न-पत्र I (विधि का सामान्य ज्ञान) हिन्दी और अंग्रेजी में होगा। उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय लिखित परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के आधार पर बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के निष्पादन के आधार पर सम्मिलित रूप से किया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, बोर्ड के निर्णयानुसार स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।

(घ) पाठ्यक्रम:

प्रश्न -पत्र I - विधि का सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार का) : (i) संवैधानिक विधि (ii) प्रशासनिक विधि (iii) सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (iv) साक्ष्य विधि (v) संविदा अधिनियम, 1872 (vi) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (vii) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 (viii) पंजीकरण अधिनियम, 1908 (ix) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (x) विधि ड्राफ्टिंग आदि। उपर्युक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है न कि संपूर्ण।

प्रश्न-पत्र II (अंग्रेजी) : निबंध, सार लेखन, बोधगम्यता और व्यावसायिक/कार्यालयीन पत्राचार।

3. परीक्षा केंद्र:

लिखित परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों (कोड संख्या कोष्ठक में दी गई है) पर आयोजित की जा सकती है:

केंद्र का नाम	कोड सं.	केंद्र का नाम	कोड सं.
अहमदाबाद	(11)	जयपुर	(20)
बंगलोर	(12)	जम्मू	(21)
भोपाल	(13)	कानपुर	(22)
भुवनेश्वर	(14)	लखनऊ	(24)
कोलकाता	(15)	मुंबई	(25)
चंडीगढ़	(16)	नागपुर	(26)
चेन्नै	(17)	नई दिल्ली	(27)
गुवाहाटी	(18)	पटना	(29)
हैदराबाद	(19)	तिरुवनंतपुरम	(31)

उम्मीदवार केवल एक ही केंद्र का चयन कर सकता है जिसके नाम और कोड संख्या का उल्लेख आवेदन में अवश्य किया जाए। लिखित परीक्षा के केंद्र और तारीख को बोर्ड के विवेकानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी केंद्र पर लिखित परीक्षा रद्द किये जाने की स्थिति में बोर्ड, अपने विवेक पर, संबंधित उम्मीदवारों को वैकल्पिक केंद्र आबंटित कर सकता है। लिखित परीक्षा में प्रवेश पानेवाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की तारीख, समय और स्थान की सूचना प्रवेश-पत्र के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के बिना लिखित परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। **परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**

4. ऊपरी आयु सीमा में छूट:

ऊपरी आयु सीमा में छूट इस प्रकार है:

(क) अपिब के उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष यदि उनके लिए पद आरक्षित हैं।

(ख) निम्नलिखित के मामले में 5 वर्ष : i) अजा/अजजा उम्मीदवार यदि उनके लिए पद आरक्षित हैं। ii) रोजगार केंद्र के माध्यम से आवेदन करने वाले बैंकिंग संस्थाओं के वे भूतपूर्व कर्मचारी जिनकी सेवाएं मितव्ययता के कारण या बैंक के परिसमापन के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई थी तथा न्यूनतम एक वर्ष की सेवा के बाद सरकारी कार्यालयों से छंटनी हुए कर्मचारी iii) वे भूतपूर्व सैनिक (आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) बशर्ते आवेदनकर्ता ने सेना में लगातार कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर सेवामुक्त किये गये हैं (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल एक वर्ष में पूरा होने वाला है) किंतु इनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं हैं जिन्हें कदाचार या अकुशलता या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा जो सैन्य सेवा से संबंधित अपंगता या अशक्तता के कारण से सेवामुक्त कर दिए गए हों। iv) ऐसे आपातकालीन कमीशन - प्राप्त अधिकारियों/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जो पांच वर्ष की मिलीटरी सेवा में प्रारंभिक काल पूरा कर चुके हों लेकिन जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया गया हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करे कि चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। v) वे उम्मीदवार जो 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के बीच की अवधि में सामान्यतः जम्मू और कश्मीर डिवीजन के अधिवासी रहे थे।

(ग) विकलांग उम्मीदवार (सामान्य) के लिए 10 वर्ष; विकलांग उम्मीदवार (अपिब) के लिए 13 वर्ष तथा विकलांग उम्मीदवार (अजा/अजजा) के लिए 15 वर्ष।

टिप्पणी: आयु सीमा में संचयी छूट उपयुक्त मर्दों या अन्य मर्दों के संयोजन से नहीं दी जाएगी।

5. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय): ₹100/- (एक सौ रुपये मात्र)। अजा/अजजा/विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। शुल्क का भुगतान केवल मुंबई में देय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट से किया जाए। तथापि, जिन स्थानों पर बैंक नहीं है उन स्थानों के उम्मीदवार शुल्क का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में आहरित तथा प्रधान डाकघर, मुंबई में देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना नाम और पता मांग ड्राफ्ट के दूसरी तरफ और पोस्टल आर्डर में इस उद्देश्य से दिए गए स्थान पर लिखें (यदि शुल्क का भुगतान किया जाना है) और इसे आवेदन के साथ पिन (स्टेपल न करें) की सहायता से संलग्न करें। उचित आवेदन के साथ नहीं भेजे गए शुल्क अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार शुल्क का भुगतान किए जाने पर उसे किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।

6. सेवा शर्तें/ कैरियर-संभावनाएं:

(i) वेतनमान : ग्रेड 'बी' अधिकारियों के लिए लागू ₹ 21000-1000-30000-द.रो.-1000-32000-1100-36400 के वेतनमान पर चयनित उम्मीदवारों का प्रारंभिक मूल वेतन ₹ 21,000/- प्रतिमाह होगा तथा वे समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार मंहगाई भत्ते, स्थानीय भत्ते, मकान किराया भत्ते, परिवार भत्ते तथा ग्रेड भत्ते के लिए भी पात्र होंगे। वर्तमान में सीधी भर्ती के अंतर्गत ग्रेड 'बी' अधिकारियों के लिए कुल प्रारंभिक मासिक परिलब्धियां लगभग ₹43,216/- है (मकान किराया भत्ते सहित)।

टिप्पणी: जो उम्मीदवार बैंक के लिए सार्थक महत्त्व की उच्च शैक्षिक योग्यता अथवा व्यावसायिक योग्यता/ विशेष अनुभव रखते हों उन उम्मीदवारों को बैंक अपने विवेक पर चार अग्रिम वेतन वृद्धि देने पर विचार कर सकता है। बोर्ड, साक्षात्कार के समय बैंक के सार्थक महत्त्व के लिए उच्चतर योग्यता/विशेष अनुभव के कारण उच्चतर परिलब्धियों के अनुरोध पर विचार करने का एक मात्र अधिकार रखता है। ऐसी जानकारी जीवन-वृत्त फार्म के उचित कॉलम में दी जाए। अधिकतम वेतनवृद्धियों की संख्या 4 होगी। बोर्ड/बैंक साक्षात्कार के बाद प्राप्त हुए अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

(ii) अनुलाभ:

पात्रता के अनुसार बैंक आवास, उपलब्ध हो तो, कार्यालयीन उद्देश्य से वाहन के अनुरक्षण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, टेलीफोन प्रभार, पुस्तक अनुदान, आवास की फर्निशिंग के लिए भत्ते आदि। पात्रता के अनुसार ओपीडी उपचार/ हस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सहित निःशुल्क औषधालय की सुविधा। ब्याज मुक्त तयौहार अग्रिम, छुट्टी किराया रियायत (दो वर्ष में एक बार स्वयं पति/पत्नी तथा पात्र आश्रितों के लिए)। आवास, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुएं, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अग्रिम। इस पद से भविष्य निधि, पेंशन, ग्रैज्युटी के लाभ भी जुड़े हुए हैं। मुंबई में आवास के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए लागत के आधार पर इस पद से जुड़े स्वीकार्य अनुलाभों सहित कुल वेतन तथा भत्ते का योग ₹11.58 लाख प्रतिवर्ष (लगभग) है।

(iii) पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों पर 'डिफाइन्ड कान्ट्रिब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)' लागू होगी।

(iv) कुछ केंद्रों में सीमित संख्या में आवासीय क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध है। किंतु पट्टे पर आवासीय सुविधा सभी केंद्रों में उपलब्ध है।

(v) प्रारंभिक नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी जो बैंक के विवेकानुसार अधिकतम चार वर्षों की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

